पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

सीखें-सिखायें
पुस्तिका - 04

पंचायत एवं ग्राम सभा की समितियां

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म
र्थ न

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष	:	2017
कुल प्रतियां	:	1000
प्रकाशक	:	टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग	:	अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक	:	गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव
सीखें-सिखायें पुस्तिका - 04

पंचायत एवं ग्राम सभा की समितियां

Azim Premji Philanthropic Initiatives
TRI TRANSFORM RURAL INDIA
समर्थन

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ-साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

विषय सूची

1.	ग्रामसभा एवं पंचायत की समितियां	04
2.	ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की समितियों की जरूरत क्यों ?	04
3.	ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां	06
4.	ग्राम सभा की स्थायी समितियां	08
5.	विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बनायी जाने वाली समितियां	11
6.	संयुक्त वन प्रबंधन के तहत गठित समितियां	13
7.	जैव विविधता प्रबंधन समिति	13
8.	ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अस्थायी समितियां	14
9.	कैसे करें समितियां कार्यों की निगरानी	14
10.	अभ्यास	16

ग्राम सभा एवं पंचायत की समितियां

पृष्ठभूमि

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग-अलग जाति, समुदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन, खानपान, परम्पराओं, रीति रिवाजों में भी समानता नहीं है। इन्हीं असमानताओं के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी क्षेत्रवार अलग - अलग हैं जिन्हें पूरा करने के लिये सरकार को कई प्रकार के अलग -अलग तरह के काम करने होते हैं। कामों को सही ढंग से करने के लिये केन्द्र, राज्य, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाता है। जिस तरह केन्द्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग मंत्रालय, एवं विभिन्न विभागों के बीच कामों का बंटवारा किया जाता है, उसी प्रकार पंचायतों के स्तर पर भी कामों का बंटवारा किया जाता है। जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिये पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान है। जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षा पूरी करने के लिये निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यों का क्रियान्वयन व निगरानी करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिये गए हैं।

सन् 2001 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा की सात समितियां गठित करने का प्रावधान था। इस व्यवस्था में परिवर्तन कर अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायत और ग्राम सभा की 3-3 स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की समितियों की जरूरत क्यों ?

पंचायती राज व्यवस्था में गांव में पंचायत के लिये पंच और सरपंच का चुनाव होता है। पंचायत के चुनाव और उसके गठन के बाद पंचायत क्या-क्या काम करेगी, क्या सरपंच ही सारे काम की जिम्मेदारी लेंगे और बाकी पंच सिर्फ मासिक बैठक में पंचायत के प्रस्तावों को पास करने का काम करेंगे, ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं। पंचायत राज व्यवस्था, लोगों को ग्राम एवं स्वयं के विकास के लिये केन्द्र में लाने की व्यवस्था है। इसलिये काम काज के बंटवारे के लिये स्थाई समितियों की व्यवस्था की गई है।

पंचायत के काम सभी चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर करें इसके लिए समितियां गठित की जाती हैं। समितियों के गठन से कामों का बंटवारा भी हो जाता है।

समितियों की आवश्यकता को आगे चित्र के माध्यम से समझाया गया है -

समितियों की जरूरत

एक व्यक्ति या एक समिति पर सारी जिम्मेदारी

क्या यह स्थिति सही है ?

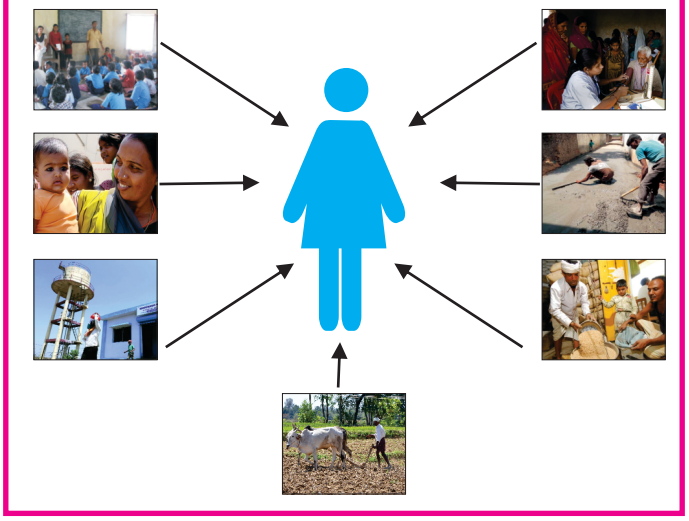

यदि जिम्मेदारियां अलग-अलग समितियों को बांट दी जाए तो
काम अच्छा और आसान हो सकता है

ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां

प्रत्येक ग्राम पंचायत में चुने हुए पंचों में से 3 स्थायी समितियां गठित की जाती है, जिन्हें नीचे चित्र के माध्यम से बताया गया है –

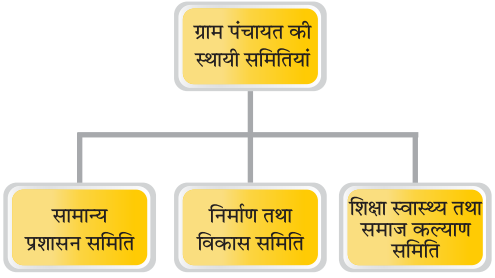

पंचायत की स्थायी समितियों का गठन

- पंचायत चुनाव के बाद समितियों के गठन हेतु पंचायत की विशेष बैठक बुलायी जाएगी।
- बैठक में पंचों द्वारा अपने बीच से ही समिति के सदस्यों का चुनाव किया जावेगा।
- कोई भी पंच अधिकतम दो समितियों का सदस्य हो सकता है।
- सरपंच सभी समिति के अध्यक्ष होंगे।
- पंचायत सचिव तीनों समिति के पदेन सचिव होंगे।
- प्रत्येक समिति में चार सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।
- प्रत्येक समिति का एक बैठक रजिस्टर होगा।
- अगर कोई सदस्य स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ता है या किसी कारणवश उसे पद से नहीं हटाया जाता है तो वह पांच साल तक अपने पद पर बना रह सकता है।

पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक

- महीने में कम से कम में एक बैठक होगी।
- बैठक की तारीख अध्यक्ष तय करेंगे।
- बैठक से तीन दिन पहले समिति सदस्यों को बैठक की तारीख, स्थान, समय और विषय की जानकारी सचिव द्वारा दिया जाना जरुरी है।
- ग्राम पंचायत जरुरत के अनुसार स्थाई समितियों की बैठक में सलाह लेने के लिये सरकारी अधिकारी व अन्य विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।
- जरूरत होने पर या सदस्यों द्वारा मांग करने पर समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

पंचायत की समितियों की बैठक का कोरम

- समिति की बैठक का कोरम समिति के आधे सदस्यों की उपस्थिति होने पर पूरा होगा।
- अगर तय तारीख में समिति के आधे सदस्य नहीं आते हैं तो बैठक स्थगित हो जायगी। कुछ समय बाद यह बैठक फिर कर सकते हैं जिसके लिए कोरम की जरूरत नहीं है पर इस बैठक में किसी भी नये विषय पर विचार नहीं होगा।

पंचायत की स्थाई समितियों के फैसले

- समिति सदस्यों द्वारा बहुमत से फैसले लिये जायेंगे। अगर सदस्यों के मत बराबर रहते हैं तो सभापति (सरपंच, सरपंच के

न होने की दशा में उपसरपंच) का मत निर्णायक मत होगा।

- सामान्य प्रशासन समिति सभी समितियों के फैसले पंचायत के सामने रखेगी।
- समिति के फैसलों को पंचायत बहुमत से स्वीकार कर सकती है या समिति को पुनर्विचार के लिये वापिस भेज सकती है।
- अगर ग्राम पंचायत, स्थाई समितियों के फैसले को, बहुमत से पास करती है तो उस प्रस्ताव या योजना पर काम शुरु होगा।

काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं यह देखना उस समिति की जिम्मेदारी है। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा हो तो समिति उसकी रिपोर्ट पंचायत को करेगी ताकि पंचायत उस रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही कर सके।

ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के कार्य

- ग्राम पंचायत को सौंपे गए कार्यों को तीनों समितियों के बीच बांटा गया है। समिति वार कार्यों की जिम्मेदारी को आगे तालिका में बताया गया है –

सामान्य प्रशासन समिति	निर्माण तथा विकास समिति	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति
1. ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित कार्य 2. निर्माण कार्यों का अनुमोदन, बजट, लेखा-जोखा प्रस्तुत करना, कराधान तथा वित्तीय विषय से जुड़े अन्य कार्यों में सहयोग करना 3. भूमि विकास तथा संरक्षण के कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और राजस्व से जुड़े कार्य करवाना 4. अन्य ऐसे विषय एवं कार्य जो पंचायत को सौंपे गए हों लेकिन इन्हें किसी अन्य समिति को आवंटित न किया गया हो।	1. पंचायत की विकास योजना बनाना, योजनाओं का प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा निर्माण कार्यों की निगरानी करना 2. बजट बनाना तथा कार्यान्वयन करना 3. सभी प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को करवाना 4. संचार माध्यमों में सुधार, कुटीर तथा खादी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देना 5. महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और पार्क, ग्रामीण विद्युतीकरण, वन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डेयरी, कृषि तथा जल संसाधन से जुड़े कार्यों को करवाना।	1. सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर, शिक्षकों की उपस्थिति, अनौपचारिक शिक्षा की प्रगति देखना और आवश्यक सहयोग करना। 2. प्रौढ़ शिक्षा, आंगनवाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहित करना और निगरानी करना। 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण करना। 4. सामाजिक रूप से पिछड़े तथा विकलांग वर्गों के कल्याण की योजना बनाना तथा कार्यान्वयन करना। 5. पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के विकास के लिये विशेष कार्यक्रम बनाना और संचालित करना जैसे - मत्स्य पालन खेलकूद तथा श्रम।

ग्राम सभा की स्थायी समितियां

पूर्व में ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति के नाम से ग्राम सभा की 2 स्थायी समितियां गठित की जाती थी। परन्तु "मध्यपप्रदेश राजपत्र" क्रमांक 444 दिनांक 1 सितम्बर 2010 में प्रकाशित मध्यप्रदेश ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारोबार, संचालन तथा बैठक) नियम 2010, का नियम 9 के उपरांत ग्राम सभा की 3 स्थायी समितियां हो गई हैं। ग्राम सभा की तीनों स्थायी समितियों को नीचे चित्र के माध्यम से बताया गया है।

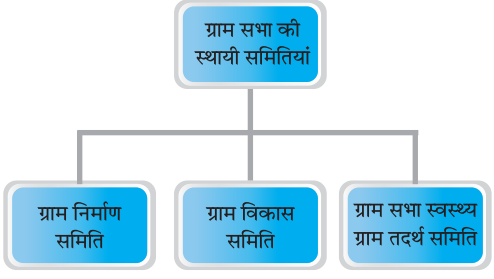

ग्राम सभा की स्थायी समितियों का गठन

- तीनों समितियों का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- ग्राम निर्माण समिति व ग्राम विकास समितियों के अध्यक्ष-सरपंच तथा उपाध्यक्ष-उपसरपंच रहेंगे। जबकि ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति का अध्यक्ष किसी महिला सदस्य को नियुक्त किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत का सचिव तीनों समितियों का पदेन सचिव होगा।
- ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समितियों में एक-एक पंच, एक महिला सदस्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से कोई सदस्य नहीं है तब अनारक्षित वर्ग से सदस्य चुना जाएगा।
- ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति में विषय के संबंध में हित रखने वाले न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 20 ऐसे सदस्य होंगे जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो। कुल सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत होगी। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा। इसके अलावा इन वर्गों से कम से कम एक महिला को भी सदस्य चुना जाएगा। ग्राम की सभी महिला पंच, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का हैण्डपम्प मेकेनिक/सहायक मेकेनिक इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठक

- स्थाई समितियों की महीने में कम से कम एक बैठक जरूर किए जाने का नियम है।
- बैठक बुलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष तथा बैठक का एजेन्डा जारी करने की जिम्मेदारी सचिव की है।
- सभी सदस्यों को बैठक की पूर्व सूचना सचिव द्वारा दी जावेगी।
- यदि एक माह पूरा होने के बाद 10 दिन

तक अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है तो सचिव खुद बैठक बुला सकता है।

- यदि स्थाई समिति के आधे सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने की मांग लिखित में सभापति से की जाती है तो सभापति द्वारा विशेष बैठक बुलाना जरूरी है जिसकी सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से 3 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाना जरूरी है।
- स्थाई समितियों की बैठक में चर्चा व निर्णय हेतु कोई भी सदस्य अपने मुद्दे रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैठक की सूचना की तारीख से तीन दिन के भीतर, सचिव को लिखित में देना जरूरी है।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों में कोरम

अध्यक्ष को छोड़कर कम से कम आधे यानी पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। कोरम पूरा न हो तो बैठक 1 घंटे के लिये स्थगित की जाएगी। यदि फिर भी बैठक में कोरम पूरा न हो तो बैठक स्थगित कर अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी। कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित बैठक फिर से होने पर उसमें कोई नए विषय नहीं जोड़े जाएंगे, किन्तु उसमें भी कोरम पूरा होना आवश्यक है।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों में फैसले

स्थाई समितियों द्वारा सभी फैसले बैठक में सदस्यों से चर्चा करके लिए जाने का नियम है। यदि किसी मुद्दे पर सदस्यों में मतभेद है तो बहुमत से फैसला लिया जा सकता है। बहुमत से फैसला लेते समय सभापति का मत तभी लिया जाएगा, जब दोनों पक्षों के मत बराबर हो।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों के कार्य

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की तरह ही ग्राम सभा की स्थायी समितियों के कार्य तय किये गए हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में बताया गया है –

ग्राम निर्माण समिति	ग्राम विकास समिति	ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति
1. ग्राम पंचायत की एजेन्सी के रूप में, उसके अधीन रहकर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 5 लाख रूपये तक के समस्त प्रकार के निर्माण कार्य कराना 2. निर्माण कार्यों पर किये गए व्यय का ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन कराना	1. लोक संपदा जैसे कि भूमि, वन, जल संसाधन, खनिज संसाधन तथा पर्यावरण का प्रबंधन तथा इन्हें अतिक्रमण से बचाना 2. कृषि, पशुपालन, सहकारिता, भूमि उद्धार से संबंधित विषय जिसमें भूमि संरक्षण, कंटूर बंडिंग, मत्स्यपालन, कम्पोस्ट खाद बनाना, बीज वितरण भी सम्मिलित है तथा कृषि एवं पशुधन से संबंधित कार्य कराना	1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कार्ययोजना बनाना तथा कार्यान्वयन में सहयोग देना। 2. आंगनबाड़ियों में भौतिक सुविधाओं और अधोसंरचनाओं की जरूरतों को पंचायत

3. यह समिति निर्माण कार्यों के मासिक व्यय का मदवार ब्यौरा और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ग्राम पंचायत की "निर्माण तथा विकास समिति" के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है

4. समस्त निर्माण कार्यों की एकजाई प्रगति रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना तथा कार्यों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा लिये गए निर्णयों का पालन करना।

5. कराए गए कार्यों का कलेक्टर या जिला पंचायत द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन कराना।

6. ग्राम पंचायत, ग्राम निर्माण समिति को सौंपे गए निर्माण कार्यों के संबंध में कोई भी जानकारी मांग सकेगी और उस पर अपनी राय दे सकेगी।

7. उपरोक्त के अलावा अन्य वे समस्त कार्य जो ग्राम सभा द्वारा ग्राम निर्माण समिति को सौंपे जाएं।

3. ग्राम सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य जैसे कि टीकाकरण, रोगों के निवारण के लिए उपाय, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय, सफाई, जलप्रदाय तथा जल निकास आदि से संबंधित कार्य कराना

4. ग्राम की सुरक्षा जैसे कि जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के समय राहत से संबंधित कार्य कराना

5. अधोसंरचना जैसे कि ग्रामीण सड़क, संचार, ग्रामीण गृह निर्माण, लोक भवन तथा ऊर्जा आदि से संबंधित कार्य कराना

6. प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता से संबंधित कार्य कराना

7. छुआछूत को हटाए जाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित समस्त विषय। सामाजिक बुराई जैसे दहेज प्रथा को हटाना तथा बीमार, वृद्धों तथा निराश्रित, महिलाओं का कल्याण तथा बाल कल्याण से संबंधित कार्य कराना

8. इसके अलावा वे समस्त कार्य, जो ग्राम सभा द्वारा समिति को सौंपे जाएं।

के सहयोग से पूरा कराना।

3. मध्यान्ह भोजन की नियमितता और गुणवत्ता की निगरानी रखना।

4. आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने और बंद होने के समय की निगरानी।

5. प्रति सोमवार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित योजनाओं की समीक्षा करना। जिसमें मुख्यत: यह जानना कि अतिकम तथा कम वजन वाले बच्चों और उनके माता-पिता की केन्द्र की सेवाएं प्राप्त करने में कितनी भागीदारी है।

6. पोषणाहार खाते में प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध निर्णय लेना।

विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बनायी जाने वाली समितियां

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अलावा अलग-अलग कार्यक्रमों के लिये भी ग्राम सभा स्तर पर समितियों का गठन किया जाता है। जिनकी जानकारी आगे तालिका में दी गई है –

कार्यक्रम आधारित गठित की जाने वाली समितियां

समिति	समिति के गठन की प्रक्रिया	समिति के कार्य
शाला प्रबंधन समिति- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं के प्रबंधन हेतु प्रत्येक शाला में ऐसी समिति गठित करने का प्रावधान है। समितियों का कार्यकाल दो वर्ष या दो शैक्षणिक सत्रों के लिए किया जाता है।	1. प्रथमिक शाला की समिति में 18 सदस्य होंगे। 2. माध्यमिक शाला की समति में 16 सदस्य होगे। 3. समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होना चाहिये। 4. समिति में शाला में दर्ज बच्चों के माता- पिता या संरक्षक और चुने हुऐ 2 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 5. उक्त समिति में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे जो समिति सदस्यों के बीच से चुने जावेंगे, शाला के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक व वरिष्ठ महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक समिति के सचिव होंगे।	1. विद्यालय की विकास योजना बनाना एवं उसकी सिफारिश करना। 2. सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अंशदान एवं उसके उपयोग की देखरेख करना। 3. सभी शिक्षक नियमित एवं समय पर शाला में उपस्थिति हों, साथ ही कोई शिक्षक प्रायवेट टयूशन या प्रायवेट शिक्षण कार्य न करे यह सुनिश्चित करना। 4. माता-पिता व संरक्षक के साथ बैठकें करना एवं बच्चों की शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। 5. स्थानीय लोगों व बच्चों को कर्तव्य व जिम्मेदारियों के बारे में आसान तरीकों से जानकारी देना।
वाटरशेड समिति : जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियाजना के कार्य क्षेत्र में शामिल माइक्रो वाटरशेड में परियोजना क्रियान्वयन, एजेंसी व परियोजना क्रियान्वयन दल की तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में परियोजना का	1. समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। 2. वाटरशेड समिति के गठन की कार्यवाही परियोजना क्रियान्वयन दल की उपस्थिति में की जायेगी। 3. वाटरशेड समिति का गठन प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह व स्वसहायता समूह के	ग्रामीणों को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों और विभिन्न पहलुओं पर सतत रूप से अवगत करवाना और उनसे निरन्तर संवाद कर संपर्क में रहना। 1. परियोजना क्रियान्वयन दल को सौंपे गये दायित्वों को निभाने और पूरा करने में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना। 2. यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के कार्यकलापों के चयन, उपयोगकर्ता समूहों व स्वसहायता

कार्यान्वयन वाटरशेड समिति करेगी	एक-एक प्रतिनिधि और परियोजना क्रियान्वयन दल के एक सदस्य को शामिल कर किया जायेगा। 4. वाटरशेड समिति में आधे सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय, महिलाओं, भूमिहीन व्यक्तियों तथा लघु व सीमांत कृषक होंगे। 5. अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में बहुमत के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन दल के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। 6. जहां एक माइक्रो वाटरशेड में एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हों, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग वाटरशेड समितियां गठित की जायेंगी।	समूहों के गठन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल कार्यकलापों में गरीब ग्रामीणों, महिलाओं, भूमिहीनों तथा लघु व सीमांत कृषकों के हितों का पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है। 3. परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी और परियोजना क्रियान्वयन दल के सहयोग से वार्षिक कार्य योजना तैयार कराना। 4. परियोजना क्रियान्वयन दल के मार्गदर्शन एवं सहयोग से परियोजना का गुणवत्ता पूर्ण तथा तकनीकी रूप से कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना। 5. परियोजना के अन्य कार्यकलापों के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करना। 6. कार्यान्वित हो रहे कार्यकलापों की निरंतर निगरानी करना।
ग्राम सामाजिक संपरीक्षा समिति	1. समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। 2. समिति में 50 प्रतिशत सदस्य मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूर होंगे जिनका चयन ग्राम सभा में किया जाता है। 3. समिति में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम एक तिहाई होना चाहिये। 4. समिति का कार्यकाल 6 माह का होता है। 5. समिति में पंचायत प्रतिनिधि या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा जा सकता।	1. समिति का मुख्य कार्य पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराना। 2. पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का भौतिक व मौखिक सत्यापन और कार्यों के दस्तावेजों का सत्यापन कर कार्यों के गुण दोषों की पहचान करना। 3. सत्यापन में मिली जानकारी के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना और आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।

संयुक्त वन प्रबंधन के तहत गठित समितियाँ

वनों की देख रेख में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अपनाया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर, 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :

1. **वन सुरक्षा समिति :** सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से 5 किमी की दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। यह ऐसे वनक्षेत्र हैं जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं।

2. **ग्राम वन समिति :** विरल वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा से 5 किमी की दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समिति के गठन का प्रावधान है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण या पुनः स्थापन किया जाना आवश्यक है।

3. **ईको विकास समिति :** इस समिति का प्रावधान ऐसे क्षेत्रों के लिए है जहां राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य है। इन क्षेत्रों की सीमा में आने वाले समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से 5 किमी की परिधि (घेरे) में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु ईको विकास समिति के गठन का प्रावधान है।

उपरोक्त समितियों के गठन की प्रक्रिया

समस्त ग्रामीण मतदाता समिति की आम सभा के सदस्य होंगे। समिति अध्यक्षों के कुल पदों में एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गए हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

जैव विविधता प्रबंधन समिति

जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। स्थानीय निकाय में ग्राम सभा भी शामिल है। यह समिति जैव विविधता के सरंक्षण व संवर्धन, टिकाऊ उपयोग, जैव विविधता का दस्तावेजीकरण, भूमि और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों का संरक्षण व संवर्धन, पालतू पशुओं और सूक्ष्मजीवों की नस्लों और जैव विविधता से संबंधित स्थानीय ज्ञान को लोक जैव विविधता पंजी में दर्ज करेगी।

जैव विविधता प्रबंधन समिति में कम से कम 7 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें होंगी। समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत से कम नहीं होगा। समिति के सदस्यों में जड़ी-बूटी के जानकार, किसान, लघु वनोपज इकट्ठा करने वाले, उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि,

सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या किसी संगठन का कोई ऐसा व्यक्ति या प्रतिनिधि जिनके बारे में ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को यह विश्वास हो कि इनका जैव विविधता प्रबंधन समिति में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, समिति के सदस्य हो सकेंगे। स्थानीय निकाय वन, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से 6 विशेष आमंत्रितों के नाम निर्देशित कर सकती है। समिति के अध्यक्ष का चयन स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया जावेगा।

स्थानीय निकाय चाहे तो एक अलग समिति का गठन कर सकता है या वर्तमान किसी भी समिति को यह दायित्व सौंप सकता है।

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अस्थायी समितियां

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अलावा किसी समयबद्ध कार्य के लिये ग्राम सभा अस्थाई समिति गठित कर सकेंगी, लेकिन जैसे ही ग्राम सभा में इस कार्य के पूरे होने की रिपोर्ट पेश कर दी जावेगी तथा कार्य का मूल्यांकन हो जावेगा तो इसके बाद यह समिति अस्तित्व में नहीं रहेगी अर्थात समाप्त हो जावेगी।

कैसे करें समितियां कार्यों की निगरानी

ग्राम पंचायत में गठित होने वाली विभिन्न समितियों का काम उन्हें सौपे कार्यों का क्रियान्वयन करना हैं। साथ ही समिति का काम संबंधित सेवाओं की निगरानी करना भी है। उदाहरण के लिए शाला प्रबंधन समिति का दायित्व है कि वह स्कूल की निगरानी कर यह देखे कि वहां पढ़ाई की क्या स्थिति है, बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति कितनी है? मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता कैसी है? आदि। अन्य समितियों को भी इसी तरह संबंधित सेवाओं की निगरानी करना जरूरी है। इस बारे में यहां यह सवाल सामने आता है कि समितियों के सदस्य निगरानी कैसे करें? इस सवाल के संदर्भ में निगरानी की प्रक्रिया और कौशल इस प्रकार है–

संबंधित सेवा का दौरा करना-

निगरानी के लिए संबंधित सेवा का दौरा करना यानी वहां जाकर देखना एक बुनियादी प्रक्रिया है। सार्वजनिक सेवाओं का दौरा करने के लिय यह जरूरी है कि समिति के सदस्य समूह में जाए, न कि अकेले। इससे चर्चा एवं विचार-विमर्श में मदद मिलेगी। लगभग चार या पांच लोगों का समूह होना चाहिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो।

अवलोकन

अवलोकन निगरानी का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। अवलोकन का मतलब किसी चीज को गहराई से देखना है। उदाहरण के लिए यदि हम आंगनबाड़ी का दौरा करते हैं तो यह देख सकते हैं कि वहां कितने बच्चे उपस्थित हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका क्या करती हैं, वहां साफ-सफाई और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है तथा पोषण आहार एवं भोजन कैसा है आदि। इस तरह अन्य सार्वजनिक सेवाओं का अवलोकन कर वहां की स्थितियां पता लगायी जा सकती है। अवलोकन के अंतर्गत कहां क्या स्थिति

देखने को मिली, यह एक डायरी में लिखना चाहिए। यदि कुछ खामियां निकलकर आती हैं तो निराकरण हेतु ग्राम सभा में रखा जा सकता है अथवा संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया जा सकता है।

दस्तावेजों का अध्ययन

हर सार्वजनिक सेवा में चाहे वह स्कूल, आंगनबाड़ी या राशन दुकान आदि हो, कुछ रजिस्टर एवं लिखित दस्तावेज होते हैं। निगरानी के दौरान उन दस्तावेजों को पढ़कर भी वहां की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि स्कूल की निगरानी करने जाते हैं तो वहां शिक्षकों एवं बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर देखकर पता लगा सकते हैं

अभ्यास

प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए अभ्यास को कराएं। यदि प्रतिभागियों में लिखने-पढ़ने वालों की संख्या कम हो तो समूह बनाकर भी अभ्यास कराया जा सकता है। समूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हर समूह में कम से कम एक-दो प्रतिभागी लिखने पढ़ने वाले अवश्य हों। यदि प्रतिभागियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो खुले मंच में प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए प्रश्न पूछें। खुले मंच में प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि एक प्रतिभागी को केवल एक प्रश्न का जवाब देने का अवसर दें, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अवसर मिल सके।

1. ग्राम पंचायत में कितनी स्थायी समितियां होती हैं उनके नाम बताइये ?

.....

.....

.....

2. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होते हैं ?

.....

.....

.....

3. ग्राम सभा की कितनी स्थायी समितियां होती हैं ? इनके अध्यक्ष एवं सचिव कौन होते हैं?

.....

.....

.....

4. ग्राम सभा की स्थायी समितियों के नाम बताइये ?

.....

.....

.....

5. ग्राम सभा की स्थायी समिति के अन्य सदस्य कौन-कौन होते हैं, इनका चयन कैसे किया जाता है ?

.....

.....

.....

6. ग्राम सभा की स्थाई समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में से कितने-कितने सदस्य का चयन जरूरी है ?

.....

.....

.....

7. स्थायी समितियों से पंचायत को क्या लाभ है ?

.....

.....

.....

8. अस्थाई समितियों का कार्यकाल कब तक रहता है ? एक-दो उदाहरण बताएं।

.....

.....

.....

9. स्थायी समिति की बैठकों में कोरम पूरा होने के लिये कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है ?

.....

.....

.....

10. यदि कोरम पूरा न हो तो बैठक के लिये क्या प्रावधान हैं ?

.....

.....

.....

11. स्थायी समितियों की बैठक में मुद्दों पर निर्णय कैसे लिये जाते हैं ?

.....

.....

.....

12. यदि किसी मुद्दे पर निर्णय में आधे सदस्यों का मत हाँ तथा आधे सदस्यों का मत न में हो तो, निर्णय कैसे लिया जाएगा ?

.....

.....

.....

13. ग्राम सभा की स्थायी समितियां किसके नियंत्रण में काम करती है तथा किसको जवाबदेह हैं ?

.....

.....

.....

14. स्थायी समितियों की बैठकों की तारीख कौन तय करता है और बैठक किसके द्वारा बुलायी जाती है ?

.....

.....

.....

15. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अलावा, क्या पंचायत में और किसी प्रकार की समिति होती है ? यदि हाँ तो उनके नाम बताएं?

.....

.....

.....

समर्थन के बारे में

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर-शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास-रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इण्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली-49
वेबसाइट - www.trif.in

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल-462016
ई-मेल info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org